

**सीतापुर में मिड-डे मील का राशन न पहुंचाने के मामले में
सख्त कार्रवाई के निर्देश**

**परिवहन ठेकेदार पर एफआईआर, फर्म होगी ब्लैक लिस्ट; लापरवाह
अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही—खाद्य एवं रसद
मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय**

लखनऊ : 10 सितम्बर, 2026

जनपद सीतापुर में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन ठेकेदार द्वारा मिड-डे मील का राशन संबंधित उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) तक न पहुंचाए जाने के गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कड़ा रुख अपनाया है।

मंत्री श्री पाण्डेय ने जिलाधिकारी, सीतापुर को संबंधित परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराने तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रकरण में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

श्री पाण्डेय ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप भ्रष्टाचार, लापरवाही अथवा शासकीय खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “जनता और बच्चों के हक के राशन में गड़बड़ी अत्यंत गंभीर विषय है। खाद्यान्न निर्धारित स्थान तक समय से पहुंचाना संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित अनुश्रवण के भी निर्देश दिए हैं।

सम्पर्क सूत्र— अखिलेश पाण्डेय

राघवेन्द्र / 03:15 PM